न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः– सीमा खेतान (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
62/2023	26.10.2023	26.03.2025

1. सावित्री देवी पत्नि मुरारी जाट निवासी खिदरपुर जाटान तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. धर्मराज पुत्र मुरारी जाट निवासी खिदरपुर जाटान तहसील खण्डार जिला स0मा0।

––प्रार्थी

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र बजरंगा जाट निवासी खिदरपुर जाटान तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. कैलाश पुत्र अमरलाल जाट निवासी खिदरपुर जाटान तहसील खण्डार जिला स0मा0।
3. रामकल्याण पुत्र मंगल बैरवानिवासी खिदरपुर जाटान तहसील खण्डार जिला स0मा0।
4. लेखराम पुत्र मुरारी जाट निवासी खिदरपुर जाटान तहसील खण्डार जिला स0मा0।
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील खण्डार।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–श्री त्रिलोक चन्द बैरवा, नागाराम मीना अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया है, जिसमें प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 279 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 278 रकबा 19 में 3/5 हिस्सा कुल रकबा 2–12 बीघा वांके ग्राम खिदरपुर जाटान कृषि भूमि पर आने–जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 269/1, अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि 269/2, अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी भूमि 273, अप्रार्थी संख्या 4 के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 273 की मेड में होकर निकला हुआ है। प्रार्थीगण के जीवनकाल से ही अपनी उक्त आराजीयात को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की भूमि के मध्य मेड़ में होकर व गैर मुमकिन तलाई की भूमि खसरा नम्बर 270 के सहारे होकर निकलता आया है। आराजी खसरा नम्बर 270 गैर मुमकिन तलाई पर अप्रार्थी संख्या 2 ने कब्जा कर प्रार्थीगण का आम रास्ता बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण के काश्त करने के लिए आने–जाने का रास्ता बन्द हो गया। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात को दिनांक 23.10.2023 को जोत लगाने गए तो अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 4 ने अपने खेतों से निकलने नहीं दिया जिससे वाद कारण पैदा हुआ। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 278 व 279 में जाने का रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 269/1 व [illegible] 269/2 व खसरा नम्बर 273 के मध्य में होकर जाने वाले [illegible] तलाई के अतिक्रमण को हटवाकर रास्ते को खुलासा [illegible]
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी [illegible] को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 4 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिशल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2025.09.08 13:58:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

3. अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य उक्त उनवानी प्रकरण में राजीनामा कर लिया गया राजीनामा प्रार्थना पत्र मय इकरार नामा के अनुसार डिकी फरमाने हुए वादीगण का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाने की कृपा करें। अप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य उक्त उनवानी प्रकरण में राजीनामा कर लिया गया राजीनामा प्रार्थना पत्र मय इकरार नामा के अनुसार डिकी फरमाने हुए वादीगण का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाने की कृपा करें। अप्रार्थी सख्या 2 को जबाव प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किये जाने पर दिनांक 25.07.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 का जबाव प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

4. तहसीलदार खण्डार (अप्रार्थीगण) से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी। अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार खण्डार द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया है कि ग्राम खिदरपुर जाटान खसरा नम्बर 279 रकबा 2–02 बीघा भूमि की खातेदार प्रार्थी संख्या 1 एवं खसरा नम्बर 278 रकबा 0–19 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या 2 का 3/5 हिस्सा खातेदार कब्जा काश्तकार है। प्रार्थीगण पूर्व में खसरा नम्बर 284, 289, 285, 286 की मेड से आवागमन करता है। प्रार्थी के खेत के निकटतम् रास्ता 269/1 व 273 की उत्तर दिशा की और रास्ता मौके पर मौजूद है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी के निकटतम् मौके पर मौजूदा रास्ता खसरा नम्बर 269/1 273, के मेड से खसरा नम्बर 269/2 की मेड के सहारे 4 मीटर चौडा रास्ता दिया जा सकता है, जिसकी लम्बाई 76 मीटर है। इससे कम दूरी का मौके पर रास्ता नहीं है। वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता कम दूरी का नहीं है। प्रार्थी को मौके पर मौजूद जो नक्शा ट्रेस में हरि स्याही से दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 273 का खातेदार रामकल्याण पुत्र मंगल बैरवा, खसरा नम्बर 269/1 का खातेदार रामगोपाल पुत्र बजरंगा जाट, 269/2 का खातेदार कैलाश पुत्र अमरलाल जाट राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 273 व 269/1 की बीच मेड से खसरा नम्बर 269/1 व 269/2 की खातेदारी भूमि मे से क्योकि खसरा नम्बर 270 पूर्व दिशा में गै0मु0 तलाई रिकार्ड दर्ज है। उक्त वांछित रास्ते में कोई वृक्ष मकान दीवार नहीं है। जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की गई राशि की दुगुना राशि 304x30.92 = 9400x2= 18800बनती है।

5. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र का दौहरान करते हुए निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 279 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 278 रकबा 19 में 3/5 हिस्सा कुल रकबा 2–12 बीघा वांके ग्राम खिदरपुर जाटान कृषि भूमि पर आने–जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 269/1 रकबा 1.16 बीघा व अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि 269/2, अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी भूमि 273, अप्रार्थी संख्या 4 के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 273 की मेड में होकर निकला हुआ है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर आने–जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 269/1 व 273 की मेड के सहारे एवं खसरा नम्बर 269/2 की पूर्वी मेड के सहारे [illegible] के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 को प्र[illegible] में रास्ता होने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 व 4 ने सहमति पत्र पेश कर दिया गया है। तथा अप्रार्थी [illegible] सूचना उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 02 को जबाव प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जाने पर भी जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया । अप्रार्थी संख्या 02 का जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। तहसीलदार खण्डार द्वारा अपने पत्रांक भू0अ0/2023/4524 दिनांक 19.12.2023 द्वारा मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2025.09.08 13:58:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

की वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। उक्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर आने–जाने हेतु प्रार्थीगण के पास उक्त चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 की जितनी जमीन रास्ते में आती है, उतनी जमीन की जिला स्तरीय द्वारा तय की गई राशि जमा कराने के लिए तैयार है। प्रार्थीगण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र 251ए स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को आने–जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड में नवीन रास्ता कायम किये जाने की कृपा करें।

6. वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 278 व 279 वाके ग्राम खिदरपुर जाटान पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 269/1 व 273 की मेड के सहारे एवं खसरा नम्बर 269/2 की पूर्वी मेड के सहारे से आने जाने के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगणों को उक्त खसरा नम्बर में से होकर 4 मीटर चौड़ा रास्ता दिया जाना उचित होगा। तहसीलदार खण्डार ने अपनी मौका रिपोर्ट में उक्त रास्ते की लम्बाई 76 मीटर अंकित की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में नवीन रास्ता कायम किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है। प्रार्थी के पास साधन निकालने का अन्य कोई रास्ता नहीं है, तथा अन्य कोई पेड़ या खचार्ज नही है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) का अवलोकन किया गया उक्त धारा के अनुसार "कोई अभिधारी अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाईपलाईन विछाना चाहता है या कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्‌यमान मार्ग को विस्थापित या चौड़ा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें उपखण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि (यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और जोत केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और अन्य खातेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है) आवेदन को अभिधारी जो उसे भूमि को धारित करता है, दर्शित लाईन के सा–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे बिछाने एवं एक नया मार्ग तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो बनाने एवं विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए अभिधारी को उसे उस भूमि का धारित करता है, जिसमें से होकर पाईपलाईन बिछाने या नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये ऐसा संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जायें " स्वयं तहसीलदार खण्डार द्वारा मौका देखा गया। तहसीलदार खण्डार से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया [illegible] उचित समझती हूँ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2025.09.08 13:58:43 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

7. प्रार्थीगण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और ग्राम खिदरपुर जाटान पटवार हल्का कुरेड़ी तह. खण्डार में प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 279 व 278 में आने जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 03 की आराजी खसरा नम्बरान् 269/1 व 273 की बीच मेड से एवं 269/2 की

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

पूर्वी मेड के सहारे रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। उक्त रास्ते की लम्बाई 76 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर = कुल 304 वर्गमीटर भूमि प्रभावित होगी तथा रास्ते से प्रभावित रकबा 304 वर्गमीटर की एवज में डी एल सी दर की दुगुने के हिसाब से प्रतिकर देय है, प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के खाते जिला स्तरीय समिति के अनुसार तय राशि जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा खेतान)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2025.09.08 13:58:43 IST
Reason: SelfAttested